



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
(Min. of Education, Govt. of India)
18-संस्थागतक्षेत्र / 18-Institutional Area
शहीदजीतसिंहमार्ग / ShaheedJeet Singh Marg
नई दिल्ली- 110016 / New Delhi - 110016
Tel: 26858570, Fax No. 011-26514179
www.kvsangathan.nic.in
E-mail ID- dcsportscellkvshq@gmail.com

F. No. 110355/01/2024-25/KVS (HQ)/Sports/Enhancement of DA/3102-3114/ Date: 27/05/2024

उपायुक्त/निदेशक

ई-मेल केवल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय- **Enhanced DA for Children (Sports, Scout & Guides, EBSE, Science Exhibition, Youth Parliament etc.) for the Session 2024-25 & onward**

महोदया / महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सक्षम अधिकारी के अनुमोदनानुसार विद्यार्थियों के लिये खेलकूद, स्काउट एवं गाइड, यूथ पार्लियामेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विज्ञान प्रदर्शनी आदि गतिविधियों के लिये आयोजन एवं प्रतिभागिता हेतु सत्र 2024-25 से दैनिक भत्ता (ठहरने, भोजन एवं बिस्तर आदि) में बढोत्तरी कर दी गयी है जो कि 01/06/2024 से मान्य है। नवीन दैनिक भत्ता बढोत्तरी (Breakup) विवरण निम्नवत प्रस्तुत है:-

S. No.	Description (Items)	Existing DA for Children as per KVS Sports Modalities 2019-20 & onwards (in Rs.)	Enhanced DA for the Session 2024-25 & onwards (In Rs.)
1	Full Meal, Accommodation, Bedding & Cot	Rs. 450/- (Full meal- 325/-, bedding- 75/- & cot-50/-)	Rs. 500/- (Full meal- Rs. 400/- & bedding Rs. 100/- only)
2	Food, Accommodation & Bedding	Rs. 400/-	Rs. 500/-
3	More than 8 Hours during journey periods	Rs. 400/-	Rs. 400/-
4	Minimum of 6 hours but less than 8 Hours during journey periods	Rs. 275/-	Rs. 275/-
5	If not staying overnight and not availing lodging facilities & Dinner	Rs. 275/-	Rs. 275/-
Note: Charging of hiring cots, if any, may be de-link from DA rates and may be booked by the venue / outsourced agency under "Tentage Expenditure" based on rates finalized through tender /quotations/GeM etc.			

अतः इस संबंध में अनुरोध है कि आप अपने संभाग के अधीन समस्त विद्यालयों, कार्यालयों एवं प्राचार्यों को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,
पी. देवकुमार
(डॉ. देवकुमार)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)
27.05.24.

वितरण :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, केविस (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. निजीसचिव, अपर आयुक्त (शैक्षिक), केविस (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. निजी सहायक, संयुक्त आयुक्त(वित्त/प्रशिक्षण/प्रशासन/कार्मिक) केविस (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त(शैक्षिक/वित्त/प्रशासन) केविस (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त(शैक्षिक/ईडीपी/वित्त/प्रशिक्षण/प्रशासन) केविस (मुख्यालय) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. गार्ड फाइल